अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

ताराचन्द बनाम नानग राम आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 93 / दावा सन् 2016 निर्णय दिनांक 12.07.2016

अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाइ

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी श्री भवानी सिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई व श्री रिछपाल सिंह कस्वां मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है व आराजियात ख.नं. 307, 308 किता 2 कुल रकबा 1.34 है0 सम्पूर्ण तन ग्राम रामजीपुरा पटवार मण्डल कुली का वादी को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उक्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है । तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, ख.नं. 347 से 354 किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, ख.नं. 864, 866 से 873 किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9, का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा खसरा नम्बर 369 रकबा 0.19 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित करते हुए ख. नं. 346 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 347 से 354 किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, तथा खसरा नम्बर 864, 866 से 873 किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9 से वादी का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं । इसी अनुसार रेकार्ड दुरूस्ती की जावे ।

बीज़ .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12, जुलाई, 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	2	00
मुतफर्रिक	–	–		3	00
मीजान	5	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35(2)/2016/दावा

1. ताराचन्द पुत्र ईश्वरराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी भामा की ढाणी तन रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान ।

–वादीगण

ब ना म

1. नानगराम पुत्र श्री स्व. ईश्वरराम आयु 78 साल जाति जाट निवासी भामा की ढाणी तन रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा दांतारामगढ जरिये शाखा प्रबन्धक ।
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास जरिये शाखा प्रबन्धक ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रतिवादीगणदावा

बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से ।
2. श्री रिछपाल सिंह कस्वा वकील प्रतिवादी सं.1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय दिनांक 12.07.2016

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीा ने यह वाद पत्र बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रामजीपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 712 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 799 रकबा 13 बिस्वा, ख.नं. 807 रकबा 4 बीघा, ख.नं. 815 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 804 रकबा 15 बिस्वा, ख. नं. 775, 776, 777, 778 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 307 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 308 रकबा0.02 हैक्टर, किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर, ख.नं. 347 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर ख. नं. 349 रकबा 0.44 हैक्टर, ख.नं. 350 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 351 रकबा 1.00 हैक्टर, ख.नं. 353 रकबा 0.76 हैक्टर, ख.नं. 354 रकबा 0.52 हैकटर कुल किता 7 कुल रकबा 4.22 हैक्टर, ख.नं. 864 रकबा 0.67 हैक्टर, ख.नं. 866 रकबा 0.58 हैक्टर, ख.नं. 867 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.नं. 868 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 869 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 870 रकबा 1.05 हैक्टर, ख.नं.. 871 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 872 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 873 रकबा 0.62 हैक्टर किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर ख. नं. 369 रकबा 0.19 हैक्टर अवस्थित है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है । उक्त भूमियां

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ

Scanned by CamScanner

पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ईश्वरराम पुत्र नानूराम व अन्य सह खातेदारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी ईश्वरराम की मृत्यु पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमियों की खातेदारी विरासत के आधार पर दर्ज हुई है । मौके पर भाई बंटवारा कर वादी भूमि खसरा नरम्बर 307, 308 किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टर सम्पूर्ण पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, ख.नं. 347 से 354 कुल किता 7 कुल रकबा 4.22 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, ख.नं. 864, 866 से 873 कुल किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9 तथा खसरा नम्बर 369 रकबा 0.19 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 का काबिज खातेदार है तथा इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की प्रार्थना की गई ।

2. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रिछपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे इसलिए इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

3. वाद पत्र की सुनवाई के दौरान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य दिनांक 12.07.2016 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया । तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामजीपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 307, 308 भाई बंटवारे में वादी के हक हिस्से में आई हुई भूमियां है जिसमें से प्रतिवादी यानि मेरा नाम हजफ कर दिया जावे तथा वादी को सम्पूर्ण हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे किन्तु खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, ख.नं. 347 से 354 कुल किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, ख.नं. 864, 866 से 873 कुल किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9 तथा खसरा नम्बर 369 रकबा 0.19 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 का काबिज खातेदार इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को इस हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए इन खसरा नम्बरान से वादी का नाम हजफ करने के आदेश भी दिये जावें ।

4. बहस उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषणगण की सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नये आराजी खसरा नम्बर 307, 308 किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जबाब दावे व काउन्टर दावे के अनुसार खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, ख.नं. 347 से 354 कुल किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, ख.नं. 864, 866 से 873 कुल किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9 तथा खसरा नम्बर 369 रकबा 0.19 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जावें । इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की प्रार्थना की ।

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम रामजीपुरा पटवार मण्डल कुली स्थित भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 308 रकबा0.02 हैक्टर, किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर, ख.नं. 347 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर ख. नं. 349 रकबा 0.44 हैक्टर, ख.नं. 350 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 351 रकबा 1.00 हैक्टर, ख.नं. 353 रकबा 0.76 हैक्टर, ख.नं. 354 रकबा 0.52 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर, ख.नं. 864 रकबा 0.67 हैक्टर, ख.नं. 866 रकबा 0.58 हैक्टर, ख.नं. 867 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.नं. 868 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 869 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 870 रकबा 1.05 हैक्टर, ख.नं.. 871 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 872 रकबा 0.50 हैक्टर, ख.नं. 873 रकबा 0.62 हैक्टर किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर ख. नं. 369 रकबा 0.19 हैक्टर अवस्थित है । उक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा अन्य सह काश्तकारों के हिस्से की भूमियां हैं तथा इस बाबत पक्षकारान के बीच राजीनामा भी पेश होकर तस्दीक हो चुका है एसी स्थिति में वादी को ग्राम रामजीपुरा स्थित भूमि के नये खसरा नम्बर 307, 308 किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टर के सम्पूर्ण हक हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 नाम हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं । तथा मुताबिक राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन पश्चात् ग्राम रामजीपुरा के नये खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, ख.नं. 347 से 354 कुल किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, ख.नं. 864, 866 से 873 कुल किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9 का प्रतिवादी संख्या 1 को तथा खसरा नम्बर 369 रकबा 0.19 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार उदघोषित करते खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर में से हिस्सा 1/6, ख.नं. 347 से 354 कुल किता 8 कुल रकबा 4.25 हैक्टर में से हिस्सा 1/8, ख.नं. 864, 866 से 873 कुल किता 9 कुल रकबा 4.93 हैक्टर में से हिस्सा 1/9 से वादी का नाम हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं । तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

6. यह आदेश आज दिनांक 12.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner